सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 02, शुक्रवार, *शाके* 1945-जून 23, 2023 *Asadha 02, Friday , Saka 1945- June 23, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 16, 2023

संख्या प.10(1) कृषि/ग्रुप-2/75-।। :-जैसा कि राज्य सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 15.11.1966 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, बालोतरा की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी बालोतरा द्वारा मण्डी क्षेत्र के ग्राम पादरू में गौण मण्डी यार्ड फल-सब्जी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 05 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पादरू में गौण मण्डी यार्ड फल-सब्जी स्थापित करने की घोषणा करती है । जिसकी सीमा निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व दिशा में - धारणा ग्राम
पश्चिम में - कुण्डल ग्राम
उत्तर में - भाटा ग्राम
एवं दक्षिण में - ईटवाया ग्राम ।

गौण मण्डी यार्ड पादरू की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकाने एंव भू-भाग आदि सम्मिलित होगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।